उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4
संख्या-178/2015/547/22-4-15-16जी/07
लखनऊ : दिनांक-15 सितम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

सचिवालय प्रशासन अनुभाग-13(विविध) के पत्र संख्या-7/2015/560/बीस-13-वि0-2015-4(विविध)/13, दिनांक 20.03.2015 एवं पत्र संख्या-791/बीस-13-वि0-2015-4(विविध)/13, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कारागार विभाग द्वारा दिनांक-01.03.2014 से पूर्व जारी ऐसे नीति विषयक/महत्वपूर्ण शासनादेश, जो वर्तमान में प्रभावी हैं और पूर्व में ई-संग्रह की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किये गये हैं, को ई-संग्रह की वेबसाइट पर अपलोड कराने एवं कारागार विभाग उ0प्र0 शासन की वेबसाइट के रख-रखाव, नवीनीकरण व शासनोदशों को नियमित रूप से अपलोड कराये जाने हेतु विशेष सचिव, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन, जिनका विवरण नीचे उल्लिखित है, को नोडल अधिकारी/वेबमास्टर नामित किया जाता है:-

नाम- श्री दिनेश कुमार सिंह
पदनाम- विशेष सचिव
कक्ष संख्या- 14 भूतल बहुखण्डी भवन
दूरभाष नं0- 0522-2138055
मोबाइल नं0- 9455884444

एस0के0 रघुवंशी
सचिव

संख्या-178/2015/547(1)/22-4-15-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-13 (विविध) उ0प्र0 शासन।
2- महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3- निजी सचिव, विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- उप सचिव/अनु सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- अनुभाग अधिकारी, कारागार अनुभाग-1, 2, व 3
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।